

पूर्वोत्तर रेलवे

वाराणसी मंडल

स्टेशन कार्य प्रणाली सं. वाराणसी / 364

जारी होने की तिथि : 04.01.11

लागू होने की तिथि : 18.06.11

हरदत्तपुर स्टेशन

टिप्पणी : दिनांक 9.4.86 को जारी संचालन नियमावली सं. वाराणसी / 364 को निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित संशोधित नियमावली लागू की जाती है ।

स्टेशन संचालन नियमावली हरदत्तपुर, इकहरी लाइन, बडी लाइन स्टेशन, अन्तर्पाशित श्रेणी -I लोअर क्वाड्रेंट सिगनल से सज्जित तथा पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित ।

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01, 8.03(2) (ग), 8.09, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें)

टिप्पणी : (1) इन स्टेशन संचालन नियमों का अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं सहायक स्टेशन मास्टर के पास सदैव उपलब्ध रहेगी, मिलाकर किया जायेगा । ये नियम किसी भी दशा में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख :-

इस स्टेशन का दिनांक 04.4.2001 का नियमावली सं. जि.सि.दूर इंजी. / नि. / गोरखपुर / 2001 (आर.डी.) / 1, दिनांक 04.04.2001 संशोधन 'ई' दिनांक 25.02.2014 इस स्टेशन संचालन नियमावली के साथ संलग्न है जिसमें लाइनों, काँटों, सिगनलों एवं साइडिंग आदि की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटना आदि की सूचना भेजते समय इसमें दर्शायी गयी लाइनों, काँटों एवं सिगनलों की संख्या आदि अवश्य की जानी चाहिए ।

2. स्टेशन का विवरण :-

2.1 सामान्य स्थिति :-

यह ``बी`` श्रेणी इकहरी लाइन का स्टेशन है तथा वाराणसी - माधोसिंह खण्ड पर मण्डुआडीह स्टेशन से 7.54 किलोमीटर और राजातलाब से 6.04 किमी. की दूरी पर स्थित है ।

क्रमशः पृष्ठ सं० 2 पर

2.2 दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशन एवं उनकी दूरी :**2.2.1 ब्लॉक स्टेशन :-**

- (1) अप दिशा - राजातालाब, इस स्टेशन से 6.04 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।
 (2) डाउन दिशा - मण्डुवाडीह, इस स्टेशन से 7.54 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।

2.2.2 नान ब्लॉक स्टेशन :-**(क) अप दिशा में**

- (i) ``डी`` श्रेणी स्टेशन - कुछ नहीं ।
 (ii) ``डी के`` श्रेणी स्टेशन - कुछ नहीं ।

(ख) डाउन दिशा में

- (i) ``डी`` श्रेणी स्टेशन - भूलनपुर हॉल्ट स्टेशन, इस स्टेशन से 5.30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।
 (ii) ``डी के`` श्रेणी स्टेशन - कुछ नहीं ।

2.3 स्टेशन के दोनों ओर के ब्लॉक खण्ड की सीमाएँ :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से ब्लॉक खण्ड शुरू होता है ।	वह स्थान जहां पर ब्लॉक खण्ड समाप्त होता है ।
हरदत्तपुर - मण्डुवाडीह	इस स्टेशन के अप होम सिगनल से	मण्डुवाडीह स्टेशन के डाउन होम सिगनल तक
हरदत्तपुर - राजातालाब	इस स्टेशन के डाउन होम सिगनल से	राजातालाब स्टेशन के अप होम सिगनल तक

2.4 ढलान, यदि कोई हो : समतल ।**2.5 यार्ड विन्यास (ले-आउट) :**

इस स्टेशन पर तीन रनिंग लाइन सं.1, 2 एवं 3 हैं तथा कोई नॉन-रनिंग लाइन नहीं है ।

2.5.1 (क) रनिंग लाइनों का विश्लेषण एवं उनकी ग्राह्य क्षमता :

क्रमशः पृष्ठ सं0 3 पर

रनिंग लाइन सं0	क्लीयर स्टैंडिंग लेन्थ (मीटर में)	इंजन छोडकर 4 पहिया वाले डिब्बों को रखने की क्षमता	अभियुक्तियाँ
1	740	82	यात्री प्लेटफार्म से युक्त है ।
2	686	75	मेन लाइन
3	740	82	-

(ख) रनिंग लाइन सं. 2 सीधी लाइन है जिस पर गाडियाँ पूर्व सीमित गति से रन थू जा सकती हैं ।

(ग) अप अथवा डाउन गाडियाँ किसी भी रनिंग लाइन पर ली अथवा से भेजी जा सकती हैं ।

2.5.2 नान रनिंग लाइनों का विवरण एवं उनकी ग्राह्य क्षमता :- यहाँ नान रनिंग लाइन नहीं है ।

2.5.3 यार्ड विन्यास में असामान्य बातें :- कुछ नहीं ।

2.6 समपार फाटक :

समपार की संख्या, श्रेणी, स्थिति, सामान्य स्थिति तथा उन्हें संचालित करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विवरण निम्नवत् हैं :-

(क) वाहतम रोक सिगनल के भीतर :

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	क्या अन्तर्पाशित है	संचार-व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7
8	सी	अप आउटर एवं अपहोम सिगनल के मध्य कि.मी. 215 / 5 - 6 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु खुला	फाटक वाला यातायात	नहीं	स्टेमा हरदत्तपुर से मैगनेटो टेलीफोन से जुडा है ।
9	सी	काँटा सं.4 एवं डा. होम सिगनल के मध्य कि.मी. 216 / 11 - 12 पर स्थित है । (लिफ्टिंग बैरियर युक्त)	सडक यातायात हेतु खुला	कार्यरत काँटावाला	नहीं	स्टेमा हरदत्तपुर से मैगनेटो टेलीफोन से जुडा है ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 4 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

(ख) वाह्यतम रोक सिगनल के बाहर :-

1	2	3	4	5	6	7
7	सी	हरदत्तपुर - मंडुआडीह के मध्य कि.मी. 214 / 2 - 3 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु खुला	फाटक वाला इंजी0	नहीं	स्टेमा हरदत्तपुर से मैगनेटो टेलीफोन से जुड़ा है ।
10	सी	हरदत्तपुर - राजातलाब के मध्य कि.मी. 217 / 7 - 8 पर स्थित है ।	सडक यातायात हेतु खुला	फाटक वाला इंजी0	नहीं	स्टेमा हरदत्तपुर से मैगनेटो टेलीफोन से जुड़ा है ।

टिप्पणी समपारो की कार्यविधि के विस्तृत निर्देश के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट ``क`` के विभिन्न भागों को देखें ।

3. कार्य पद्धति तथा संचार के साधन :

मण्डुआडीह एवं राजातलाब स्टेशनों के साथ इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक कार्य पद्धति लागू है । उपलब्ध ब्लाक उपकरणों के प्रकार निम्नवत् हैं :-

उपलब्ध ब्लाक उपकरणों का प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के उत्तरदायी कर्मचारी	जिसके पास चाभी रहेगा	अभ्युक्तियाँ
(i) स्टेमा कार्यालय में दूरभाष के साथ नील्स - टोकन उपकरण प्रतिस्थापित जो स्टेमा कार्यालय, मण्डुआडीह के पास प्रतिस्थापित ठीक इसी तरह के उपकरण से जुड़ा है ।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	इस ब्लॉक यंत्र का ब्लॉक टेलीफोन स्टेशन मास्टर कार्यालय, मण्डुआडीह में स्थित ब्लॉक टेलीफोन से सम्बद्ध है ।
(ii) स्टेमा कार्यालय में दूरभाष के साथ नील्स - टोकन उपकरण प्रतिस्थापित जो स्टेमा कार्यालय, राजातलाब के पास प्रतिस्थापित ठीक इसी तरह के उपकरण से जुड़ा है ।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	इस ब्लॉक यंत्र का ब्लॉक टेलीफोन स्टेशन मास्टर कार्यालय, राजातलाब में स्थित ब्लॉक टेलीफोन से सम्बद्ध है ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 5 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

टिप्पणी :

1. सामान्य एवं सहायक नियम 14.01 से 14.13 देखें) ।
2. कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उपर्युक्त विद्युत ब्लाक यंत्र का परिचालन कोई दूसरा नहीं, बल्कि वह स्वयं करता है ।

(सहायक नियम 14.02 (v), साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 विशेष रूप से देखें)

4. सिगनलिंग एवं अन्तर्पाशन :

यह स्टेशन लोवर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिगनल तथा स्टैण्डर्ड -1 अन्तर्पाशन से सुसज्जित है। सिगनलों को स्टेशन मास्टर कार्यालय के समीप, स्टेशन प्लेटफार्म पर स्थित 14 लीवरों वाले डबल वायर ग्राउण्ड फ्रेम द्वारा संचालित किया जा सकता है । कार्यरत स्टेशन मास्टर गाडियों के संचालन का नियंत्रण स्थायी सिगनलों के माध्यम से इसी 14 लीवरों वाले डबल वायर फ्रेम के जरिये करता है । इस स्टेशन पर लगे स्थावर सिगनलों का विवरण निम्नलिखित है :-

4.1 (क) अप गाडी हेतु :-

- (i) **अप आउटर सिगनल सं. 2 :** इसकी स्थिति होम सिगनल सं.3, 4 या 5 के आर्म कण्टेक्ट द्वारा नियंत्रित है ।
(मोटर द्वारा परिचालित)
- (ii) **अप ब्रैकेटेड होम सिगनल :** तीन हथे वाले होम सिगनल एक ही खम्भे पर स्थित है तथा निम्नलिखित लाइनों हेतु अंकित है :-

होम सिगनल सं. 4	-	लाइन सं. 1 के लिए ।
होम सिगनल सं. 3	-	लाइन सं. 2 के लिए ।
होम सिगनल सं. 5	-	लाइन सं. 3 के लिए ।

(ख) डाउन गाडी हेतु :-

- (i) **डाउन आउटर सिगनल सं. 13** इसकी स्थिति होम सिगनल सं.10, 11 एवं 12 के आर्म काण्टेक्ट द्वारा नियंत्रित है ।
(मोटर द्वारा परिचालित)

क्रमशःपृष्ठ सं0 6 पर

- (ii) **डाउन ब्रैकेटेड होम सिगनल :** तीन हथ्ये वाले होम सिगनल एक ही खम्भे पर स्थित है तथा निम्नलिखित लाइनों हेतु अंकित है :-

होम सिगनल सं. 10	- लाइन सं. 1 के लिए ।
होम सिगनल सं. 12	- लाइन सं. 2 के लिए ।
होम सिगनल सं. 11	- लाइन सं. 3 के लिए ।

टिप्पणी

अप / डाउन आउटर सिगनलों के 'ऑन' एवं 'ऑफ' संकेत लीवर प्रेम पर लगे पिक्चर डायग्राम में इनके ऊपर क्रमशः लाल / हरे लघु प्रकाश में प्रदत्त है ।

(ग) **सिगनलों का नियंत्रण :-**

अप / डाउन होम सिगनल लाइन चाभी सं. एल - 1, एल - 2 एवं एल - 3 द्वारा नियंत्रित किये जायेंगे । आउटर सिगनल 'ऑफ' स्थिति में तब तक नहीं किये जायेंगे जब तक पहले होम सिगनल संख्या 3, 4, 5 या 10, 11, 12 'ऑफ' न कर लिये जायें । सिगनलों के विस्तृत कार्य पद्धति के लिए स्टेशन संचालन नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के पैरा 3.0 को देखें ।

- (घ) सम्बन्धित होम सिगनल से 580 मीटर की दूरी पर आउटर सिगनल का प्राविधान किया गया है ।

टिप्पणी

- (i) सिगनलिंग उपकरण का विस्तृत विवरण स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध स्टेशन संचालन नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के पैरा 3 से 8 में दिया गया है ।
- (ii) सिगनलों के खराब हो जाने की स्थिति में गाडी संचालन की पद्धति :-
- (क) स्टेशन पर किसी होम सिगनल के खराब हो जाने की स्थिति में, सम्बन्धित आउटर सिगनल को भी खराब समझा जायेगा ।
- (ख) ऐसी स्थिति में, कार्यरत स्टेशन मास्टर अगल-बगल के स्टेशन एव पीछे के नामित नोटिस स्टेशन को सूचित कर देगा ।
- (ग) मेल / एक्सप्रेस एवं अन्य विशेष गाडियों के मामले में, उपर्युक्त पीछे के इंगित स्टेशन गाडी रुकने वाला अंतिम स्टेशन होगा और अन्य गाडियों के लिए पिछला निर्धारित नोटिस स्टेशन ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 7 पर

- (घ) अंतिम ठहराव स्टेशन का स्टेशन मास्टर ऐसी सूचना प्राप्त कर खराब सिगनल सूचना के फार्म पर इसे प्रत्येक मेल / एक्सप्रेस एवं अन्य विशेष गाडियों को जारी करेगा ।
- (ङ.) अन्य सभी गाडियों के ड्राइवर अगल - बगल के स्टेशन मास्टर मण्डुआडीह या राजातलाब से ऐसी सूचना इस स्टेशन पर तत्काल प्राप्त कर लेंगे ।
- (च) फार्म टी-369 (3बी) अथवा टी - 369 (1) का ड्राइवर के पास होना स्वयं खराब सिगनल पर करने का प्राधिकार नहीं है । कार्यरत कांटावाला द्वारा खराब सिगनल क नीचे से प्रस्थान सिगनल भी दिखाया जायेगा ।
- (छ) विफलता की दशा में सम्मुख कांटा को क्लैम्प एवं पैड लाक द्वारा बन्द करके गाडी को पास किया जायेगा । इस स्थिति में लाइन नम्बर लेबल एवं बैज का स्टेशन मास्टर एवं कार्यरत कांटावाला के बीच आदान-प्रदान किया जायेगा ।

(साधारण एवं 3.68, 3.69, 3.70, 3.80 एवं सहायक नियम 3.39 (I) (ii) एवं (iii) देखें ।)

- (ज) जब आने वाली गाडी के ड्राइवर को अंतिम ठहराव वाले स्टेशन या बगल के स्टेशन पर खराब सिगनल के बारे में सूचना नहीं दी गयी हो तो ड्राइवर कार्यरत कांटावाला द्वारा दिये गये टी-369 (3बी) सिगनल पर पायलेटिंग के द्वारा सिगनल ``आन`` की स्थिति में खराब सिगनल को पास करेगा ।
- (झ) जब कभी भी अन्तिम ठहराव स्टेशन अथवा ठीक पीछे वाले स्टेशन से खराब सिगनल पार करने का प्राधिकार जारी किया जाता है तब उस दिशा से आने वाली गाडी को आने के लिए लाइन क्लीयर देने से पूर्व सिगनल झुकाने की सभी शर्तों को पूरी कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्मुख कांटो पर क्लैम्प और पैड लाक लगायेंगे ।

4.2 स्थायी रूप से तालाबन्द कांटा / अलगाव : कुछ नहीं ।

4.3 छः मार्गी स्टेशन मास्टर का लाक अप बाक्स :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सिगनलों को नियंत्रित करने के लिए चाभी ``एम``, ``एन``, ``एल -1``, ``एल -2`` तथा ``एल -3`` सहित 6 मार्गी लाक अप बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है । परिशिष्ट 'ख' का पैरा - 6 देखें ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 8 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

4.4 स्टेशन मास्टर नियंत्रण चाभी :-

दो चाभियाँ 'ए' एवं 'जी' हमेशा सम्मुख भाग में काँच में लगे बक्से में तालाबन्द रहती हैं और इसकी चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी। चाभी 'ए' अप गाडी एवं चाभी 'जी' डाउन गाडी के आगमन के लिए नियंत्रण चाभी है। परिशिष्ट 'ख' का पैरा - 7 देखें।

4.5 रनिंग लाइन के कांटे :-

- (i) एच.पी.के. तालों के पास उपलब्ध काँटों के संचालन की प्रक्रिया स्टेशन संचालन नियमावली से संलग्न परिशिष्ट 'ख' के पैरा 8 तथा 9.1 में दिया गया है।
- (ii) रनिंग लाइन पर के कांटे अपने निकट लीवर के माध्यम से स्थानीय परिचालक द्वारा हस्तचालित हैं। उनकी सामान्य स्थिति नियमावली में दर्शाया गया है। गाडियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए इन कांटों को सम्मुख दिशा में ताला बन्द कर दिया जाय। रनिंग लाइन पर ट्रिपुल एच.पी.के. ताला के साथ भी कांटे उपलब्ध हैं। इन कांटों के संचालन की प्रक्रिया नियमावली के अनुबन्ध 'ख' के पैरा 8, 9.1 तथा 11 में दिया गया है।
- (iii) ज्यों ही इन कांटों पर से संचलन पूरा हो जाय, इन्हें उनके सामान्य स्थिति में पुनः सेट कर दिया जाय।
- (iv) यार्ड के सभी कांटे स्प्रिंग लीवर द्वारा परिचालित होते हैं। परिशिष्ट 'ख' के पैरा 5 देखें।

4.6 यार्ड में कांटा संकेतक लगे कांटे निम्नवत् हैं :-

- | | |
|-----------------------|---------------|
| (क) कांटा संकेतक : | 1, 2, 3 एवं 4 |
| (ख) ट्रैप इण्डिकेटर : | कुछ नहीं। |

5.0 दूर संचार :-

परिशिष्ट 'ख' पैरा 12 में अंकित है।

6.0 गाडी संचालन :-

- (क) कांटा सं. (1), (2), (3) एवं (4) को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन मास्टर की नियंत्रण चाभी क्रमशः 'ए' और 'जी', कार्यरत स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहती है।
- (ख) 6 - वे लाक अप बाक्स में चाभी 'एम', 'एन' क्रमशः अप एवं डाउन दिशाओं के लिए, दिशा नियंत्रण चाभी के रूप में उपलब्ध करायी गयी है। ला.सं. 1, 2 एवं 3 लिए उसी

क्रमशः पृष्ठ सं0 9 पर

लाक अप बाक्स में लाइन चाभी 'एल - 1' 'एल - 2' एवं 'एल - 3' उपलब्ध करायी गयी है । ऐसी व्यवस्था है कि लाइन नियंत्रक चाभी यथा 'एल - 1' 'एल - 2' या 'एल - 3' तथा दिशा नियंत्रक चाभी यथा 'एम' या 'एन' में से कोई एक ही चाभी एक समय में बाहर रहेगी । लाक अप बाक्स के बाहर रहेगी ।

(परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 तथा 8 देखें)

- (ग) सभी सिगनल एवं अर्न्याशन विफलतायें सिगनल विफलता रजिस्टर (एस.ई.- 32) में दर्ज कर ली जाय और सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाय ।
- (घ) कांटे, सिगनल, गाड़ी सिगनलिंग उपकरण, टेलीफोन आदि की विफलता की स्थिति में जिन कर्मचारियों को सूचित करना है, उनकी एक सूची इस स्टेशन संचालन नियमावली से संलग्न परिशिष्ट-'ख' के पैरा 13.3 में दिया गया है ।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :- परिशिष्ट 'घ' में अंकित है ।

6.2 प्रत्येक पाली के गाड़ी परिचालन कर्मचारी :

स्टेशन अधीक्षक	एक	प्रभावी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ।
सहा0 स्टेशन मास्टर	दो	प्रभावी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ।
काँटा वाला	छः	प्रभावी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ।
लाइन क्लीयर पोर्टर	एक	प्रभावी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ।

टिप्पणी

मण्डल कार्यालय से समय - समय पर जारी किये गये ड्यूटी रोस्टर के अनुसार स्टेशन कर्मचारियों द्वारा कार्य सम्पादित होगा ।

6.3 लाइन के साफ होने का उत्तरदायित्व :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान के लिए रनिंग लाइनों के साफ होने को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा । (देखें साधारण नियम 3.38 (ग) एवं 9.03)

6.4 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी, जो किसी भी तरह गाड़ी संचालन कार्य से सम्बन्धित हैं, अपनी ड्यूटी का स्वतन्त्र रूप से कार्य भार ग्रहण करने से पहले आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक आश्वासन प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर के साथ अवश्य देंगे । जब कभी भी स्टेशन संचालन नियमावली की शुद्धि पर्ची जारी हो अथवा नया स्टेशन संचालन नियमावली जारी किया जाता है

क्रमशः पृष्ठ सं0 10 पर

अथवा कोई कर्मचारी लगातार 15 दिनों की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी पर उपस्थित होता है तो ड्यूटी स्वीकृत करने से पूर्व एक नया आश्वासन लिया जायेगा । स्टेशन मास्टर इसे सुनिश्चित करेंगे । (सहायक नियम 5.01(19) देखें ।)

6.5 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर, खण्ड के कार्यरत गाडी नियंत्रक से परामर्श के बाद ही 'लाइन क्लीयर' स्वीकृत करेगा । स्टेशन मास्टर तब तक लाइन क्लीयर स्वीकृत नहीं करेगा, जब तक कि :-

- (क) अन्तिम आने वाली गाडी सम्पूर्ण पहुँच न गयी हो ,
- (ख) सभी आवश्यक सिगनल आउटर एवं होम सिगनल उक्त गाडी के पहुँचने के बाद 'आन' स्थिति में वापस न कर दिये गये हों ।
- (ग) इस स्टेशन पर आने वाली अपेक्षित गाडी के छोर पर आउटर सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक खाली हो ।
- (घ) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड में स्थित समपारो 7 एवं 8 और 10, जैसी आवश्यकता हो, के कार्यरत फाटक वाला से प्रा0 सं0 के आदान प्रदान के साथ फाटक के बन्द तथा लाक होना सुनिश्चित कर लिया गया हो ।

(देखें विशेषतया साधारण नियम 8.03(2) (क) (ख) (ग) (1))

6.6 आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की शर्तें :-

- (1) सिगनलों को तब तक 'आफ' न किया जाय, जब तक कि :-
 - (क) वे सभी सम्मुख कांटे जिन पर होकर गाडी गुजरने वाली है, ठीक ढंग से सेट और ताला बन्द न कर दिये गये हों,
 - (ख) वे सभी अनुमुख (ट्रेलिंग) कांटे जिन पर होकर गाडी गुजरने वाली है, ठीक ढंग से सेट न कर लिये गये हों,
 - (ग) वह लाइन जिस पर गाडी आने वाली है, साफ एवं अवशेष से मुक्त हो तथा दूसरी ओर की लाइन अन्तिम अनुमुख कांटों से 180 मीटर आगे साफ न हो ।
 - (घ) अप / डाउन गाडियों हेतु समपार फाटक सं0 9 श्रेणी 'सी' पर कार्यरत कांटावाला द्वारा समपार फाटक को बन्द कर ताला लगा दिये गये हों ।

6.7 गाडियों का आगमन :-

क्रमशः पृष्ठ सं0 11 पर

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर यार्ड के दोनों छोरों पर कार्य करने हेतु नियुक्त कांटावालों को उनकी उपस्थिति में प्रत्येक को सुनाकर गाड़ी का विवरण - संख्या तथा लाइन जिस पर गाड़ी ली जानी है, बताते हुए स्पष्ट एवं निश्चित निर्देश देंगे । क्रॉसिंग की दशा में स्पष्ट निर्देश देंगे अमुक गाड़ी पहले किस निर्दिष्ट लाइन पर और दूसरी सिगनल रोक कर अन्य लाइन पर ली जायेगी ।
- (ii) तत्पश्चात् स्टेशन मास्टर अप गाड़ियों के आगमन हेतु नियंत्रक चाभी 'ए' तथा डाउन गाड़ियों के आगमन हेतु नियंत्रक चाभी 'जी', जैसी भी आवश्यकता हो, को सम्मुख तथा अनुमुख छोर पर नियुक्त कांटावाले को देगा । कांटावाले तत्पश्चात् स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अपने-अपने छोर पर चाभियों के साथ जायेंगे । सम्मुख अनुमुख कांटावाले छोर पर जाते समय स्वयं जिस लाइन पर गाड़ी आने के निर्देश दिया गया हो, उसका परीक्षण करते हुए जायेंगे तथा मार्ग में पडने वाले समपार फाटक सं. 8, श्रेणी 'सी', जैसी भी स्थिति हो, को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द तथा लॉक करेंगे तथा इसकी पुष्टि में स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा गुप्तांक का आदान-प्रदान करेंगे । तत्पश्चात् अप गाड़ी के आगमन हेतु सम्मुख छोर की ओर कार्यरत कांटावाला चाभी 'ए' तथा डाउन गाड़ियों के आगमन हेतु चाभी 'जी' को क्रमशः कांटा सं. 1 तथा 4 पर लगायेंगे । तत्पश्चात् वर्णित प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे ।
- (iii) गाड़ियों के आगमन के लिये कांटों तथा चाभियों के संचालन की पद्धति परिशिष्ट 'ख' के पैरा 8, 9 तथा 10 में अंकित है

6.7.1 अप गाड़ियों का आगमन

- (i) लाइन सं.1 पर अप गाड़ी के आगमन के लिए, सम्मुख छोर पर तैनात कांटावाला कांटा सं.1 के समीप उपलब्ध तिहरे एच.पी.के.ताले में चाभी 'ए' लगायेगा और सामान्य दशा में चाभी 'सी' को निकालकर इसे कांटा सं.2 पर लगे तिहरे एच.पी.के.ताले में लगाकर रिवर्स करेगा और चाभी 'बी' निकालकर होम सिगनल पर उपलब्ध ताला में इसे लगायेगा । लाइन सं. 2 पर गाड़ी के आगमन के लिए चाभी 'सी' को निकाल लिया जायेगा और कांटा सं. 2 के समीप उपलब्ध तिहरे एच.पी.के.ताले में लगाया जायेगा तथा कांटे को सामान्य दशा में रखकर चाभी 'ई' निकाला जायेगा और होम सिगनल के समीप उपलब्ध ताला में लगाया जायेगा । लाइन सं. 3 पर गाड़ी आगमन के लिए चाभी 'ए' कांटा सं.1 पर उपलब्ध तिहरे एच.पी.के.ताले में लगाकर कांटे को विपरीत करके उससे चाभी 'डी' निकाली जायेगी और तब उसे होम सिगनल पर उपलब्ध ताले में लगाया जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 12 पर

- (ii) अनुमुख छोर पर तैनात कांटावाला, अप गाडी को लाइन सं.1 या 2 या 3 पर लेने के लिए अनुमुख कांटों की ओर प्रस्थान करते समय मार्ग का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करेगा और देखेगा कि वह रास्ता साफ है, जिस पर गाडी आने वाली है । कार्यरत कांटावाला सबसे बाहरी वाले कांटे की ओर प्रस्थान करेगा और ला.सं. 1 पर अप गाडी के आगमन के लिए कांटा सं. 4 के समीप उपलब्ध तिहरे एच.पी.के. ताले में चाभी 'जी' लगायेगा । ला.सं. 1 पर अप गाडी के आगमन हेतु कांटा को विपरीत सेट करेगा तथा चाभी 'ए' को निकालेगा । फाटक सं. 9 'सी' को बन्द कर ताला लगायेगा कार्यरत स्टेशन मास्टर को देने के लिए स्टेशन को प्रस्थान करेगा । लाइन सं. 2 पर गाडी के आगमन के लिए कार्यरत कांटा वाला कांटा सं. 4 के निकट उपलब्ध तिहरे एच.पी.के.ताले में चाभी 'जी' लगायेगा तथा उससे चाभी 'जे' निकाल लेगा और कांटा सं. 3 के निकट उपलब्ध तिहरे एच.पी.के. ताले में लगायेगा और सामान्य स्थिति में चाभी 'एल' को निकालेगा तथा समपार सं. 9 'सी' को बन्द करके चाभी को कार्यरत स्टेशन मास्टर को इसे सौंपने के लिए स्टेशन जायेगा । ला.सं.3 पर गाडी के आगमन के लिए कांटा सं. 4 से निकाली गयी चाभी 'जे' को कांटा सं 3 लगा कर इसे रिवर्स किया जायेगा और उससे चाभी 'के' निकाला जायेगा और फाटक सं. 9 श्रेणी 'सी' बन्द करेगा । इसके बाद कार्यरत कांटावाला कार्यरत स्टेशन मास्टर को इसे देने के लिए स्टेशन चला जायेगा । ततपश्चात पुनः समपार सं0 9 पर वापस चला जायेगा ।

6.7.2 डाउन गाडी का आगमन :-

- (i) लाइन सं.1 पर डाउन गाडी के आगमन के लिए, सम्मुख छोर पर तैनात कांटावाला कांटा सं.4 के समीप उपलब्ध तिहरे एच.पी.के.ताले में चाभी 'जी' लगायेगा और उसे विपरीत सेट करके चाभी 'ए' को निकालेगा और समपार फाटक सं.9 श्रेणी 'सी' को सडक यातायात के विरुद्ध बन्द करेगा तथा निकले चाभी 'ए' को होम सिगनल के ताला में लगा देगा । लाइन सं. 2 पर डाउन गाडी के आगमन के लिए कांटा वाला चाभी 'जे' को कांटा सं. 4 के तिहरे एच.पी.के.ताले से निकाल लेगा और कांटा सं. 3 के निकट उपलब्ध तिहरे एच.पी.के.ताले में लगायेगा तथा चाभी 'एल' सामान्य दशा में निकाल लेगा और समपार सं.9 'सी' को सडक यातायात के लिए बन्द करेगा तथा उसे होम सिगनल के ताले में लगा देगा । ला.सं. 3 पर गाडी के आगमन के लिए कांटा सं. 4 में चाभी 'जी' लगायेगा तथा सामान्य स्थिति में सेट करके चाभी 'जे' को निकालेगा जिसे कांटा सं. 3 में लगा कर कांटा सं. 3 को विपरीत सेट करेगा तथा चाभी 'के' को निकालेगा और उन्हें होम सिगनल पोस्ट में लगाने से पहले समपार फाटक सं. 9 श्रेणी 'सी' को सडक यातायात के विरुद्ध बन्द करेगा तब के चाभी को होम सिगनल पोस्ट में लगाएगा । समपार फाटक 9 श्रेणी 'सी' को बन्द तथा लॉक करके स्टेमा हरदत्तपुर को टेलीफोन से सूचित करेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 13 पर

- (ii) अनुमुख छोर पर कार्यरत कांटावाला लाइन सं.1 या 2 या 3 पर डाउन गाडी के आगमन के लिए अनुमुख कांटों की ओर प्रस्थान करेगा और रास्ते में जांच करेगा कि वह मार्ग साफ है, जिस पर गाडी आने वाली है । ला.सं.1 पर गाडी के आगमन के लिए वह कांटा सं. (1) के निकट उपलब्ध तिहर एच.पी.के- ताले में चाभी ``ए`` लगायेगा और चाभी ``सी`` को निकाल लेगा तथा कांटा सं. 2 में लगाकर उसे विपरीत सेट करेगा इसके पश्चात चाभी 'बी' को कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंपने के लिए स्टेशन प्रस्थान करेगा । ला.सं. 2 पर गाडी के आगमन के लिए वह चाभी ``सी`` कांटा सं. 2 के तिहरे एच.पी.के. ताले में लगायेगा तथा चाभी ``ई`` को कांटे की सामान्य दशा में रखकर निकाल लेगा और उसे कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंपने के लिए स्टेशन प्रस्थान करेगा । ला.सं. 3 पर गाडी के आगमन के लिए कार्यरत कांटावाला चाभी ``ए`` को कांटा सं. 1 के तिहरे एच.पी.के.ताले में लगायेगा और कांटे को विपरीत सेट करके चाभी ``डी`` को निकालेगा । और कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंपने के लिए स्टेशन प्रस्थान करेगा ।

टिप्पणी

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि जिस लाइन पर गाडी लेना है वह साफ है तथा कांटा संकेतकों के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि जिस लाइन पर गाडी लेना है उसे ठीक सेट किया गया है । तत्पश्चात् वह कार्यरत कांटावालों से दिन में हरी झंडियों के माध्यम से तथा रात में हरी बलितियों के माध्यम से पहले अनुमुख छोर पर कार्यरत कांटावाले से तत्पश्चात् सम्मुख कांटे पर कार्यरत कांटावाले से संकेतकों का आदान-प्रदान करेगा । तदोपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर अप / डाउन चाभी `एम` या `एन`, जैसी आवश्यकता हो, तथा चाभी `एल -1` या `एल - 2` या `एल - 3` को 6 - वे लॉकअप बॉक्स से निकालेगा और चाभी `एम` या `एन` को लीवर सं. 9 में तथा सम्बन्धित लाइन चाभी `एल -1`, `एल -2`, `एल - 3` को उनके सम्बन्धित लीवर सं. 3 या 4 या 5 या 10 या 11 या 12, जैसी आवश्यकता हो, में लगायेगा । तत्पश्चात् वह सम्बन्धित होम तथा आउटर सिगनल लीवर को खींचने का प्रबन्ध करेगा । होम तथा आउटर सिगनल ऑफ स्थिति में हो जायेगा । लीवर प्रेम के ऊपर लगे चित्र आरेख में सम्बद्ध आउटर का हरा लघु प्रकाश देख कर इसकी पुष्टि करेगा ।
- (ii) गाडी के पूर्ण आगमन के बाद, अनुमुख छोर पर कार्यरत कांटावाला स्टेशन जायेगा और कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमुख छोर की चाभी प्राप्त करेगा और जिन कांटों पर गाडी गुजर चुकी है, उन्हें सामान्य स्थिति में आवश्यक रूप से पुनः बना देगा तथा स्टेशन मास्टर की नियंत्रण चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंप देगा । साथ ही पहले समपार फाटक संख्या 9 श्रेणी ``सी`` को भी केवल सड़क यातायात हेतु खोलेगा । ।

6.7.3 विशेष सावधानियाँ

क्रमशः पृष्ठ सं0 14 पर

यहाँ वार्नर एवं स्टार्टर सिगनल प्रदत्त न होने के कारण यदि किसी ऐसी गाडी को स्टेशन पर रोकना आवश्यक हो जाये जिसका निर्धारित ठहराव न हो तो ऐसी दशा में उस छोर का रोक सिगनल 'ऑन' स्थिति में रख कर गाडी को पहले उस पर रोकी जायेगी ।

(देखें साधारण नियम 3.48 घ)

6.8 गाडियों का साथ-साथ आगमन तथा क्रासिंग :

- (i) इस स्टेशन पर एक ही समय एक से अधिक गाडियों के आगमन की अनुमति नहीं है ।
- (ii) यदि इस स्टेशन के दोनो ओर से आने वाली गाडियों का क्रासिंग किया जाता है तो दोनो छोर के प्रथम सम्मुख कांटों के इस तरह सेट करना आवश्यक होगा कि किसी भी दशा में दोनो दिशाओं से आने वाली गाडियाँ एक ही लाइन पर आकर न मिल जाय ।
- (iii) इस स्टेशन पर यात्री गाडियों के ब्रेक से ब्रेक क्रासिंग की अनुमति है । मगर पहली आने वाली यात्री गाडी प्लेटफार्म लाइन पर ली जायेगी ।

(सहायक नियम 5.01(i) (ii) (iii) देखें)

6.9 गाडियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर, सहायक नियम 4.17 (iv) के निर्धारण के अनुसार गाडी के पूर्ण आगमन के बारे में आने वाली गाडियों के गाडों से 'पूर्ण आगमन प्रमाण - पत्र पुस्तिका' (टी-1410) में हस्ताक्षर करा लेंगे ।
- (ख) स्टेशन मास्टर पर बिना रुके जाने वाली गाडियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह ड्यूटी है कि वह व्यक्तिगत रूप से गाडी के पीछे लगे टेल बोर्ड / टेल लैम्प / एल.वी. बोर्ड का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि गाडी पूर्ण रूपेण आ गयी है । ऐसी गाडियों हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन छोर से तथा स्टेशन पर कार्यरत अन्य कर्मचारी स्टेशन के दूसरे तरफ से प्रोसीड सिगनल दिखायेगें ।

(कृपया स.नियम 4.16 (क), (ख), (ग) एवं 4.17 (2) देखें)

6.10 गाडियों का प्रस्थान :-

गाडियों के प्रस्थान के समय कांटों तथा चाभियों के संचालन की पद्धति परिशिष्ट 'ख' के पैरा 8, 9 तथा 10 में अंकित है ।

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर खण्ड के नियंत्रक की अनुमति लेकर राजातालाब / मण्डुआडीह स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 15 पर

- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर यार्ड के अनुमुख छोर पर कार्यरत कांटावाला को साफ एवं स्पष्ट निर्देश देगा साथ ही गाडी नम्बर एवं लाइन संख्या 1 या 2 या 3 से मण्डुआडीह या राजातलाब की ओर, जिधर भी जायेगी, उसे बतला देगा । तब वह मण्डुआडीह की ओर प्रस्थान करने वाली गाडियों के लिए आवश्यक चाभी 'ए' तथा राजातलाब की ओर प्रस्थान करने वाली गाडियों के लिए आवश्यक चाभी 'जी' सुपुर्द कर देगा ।
- (iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड में स्थित फाटको को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द तथा लाक होना कार्यरत गेट मैन से प्राइवेट सं0 के आदान प्रदान के साथ सुनिश्चित कर लिया गया हो ।

6.10.1 डाउन गाडियों का प्रस्थान :

तब कार्यरत कांटा वाला यार्ड के सबसे बाहरी वाले अनुमुख कांटे की ओर प्रस्थान करेगा जिस पर से हाकर गाडी प्रस्थान करने वाली है, तथा जाते समय रास्ते में व्यक्तिगत रूप से यह देखेगा कि मार्ग साफ है । ला.सं.1 से डाउन गाडी के प्रस्थान के लिए कार्यरत कांटावाला चाभी 'ए' को कांटा सं. 1 के तिहरे एच.पी.के. ताले में लगायेगा और चाभी 'सी' को निकाल लेगा और इसे कांटा सं. 2 में लगाकर रिवर्स करेगा और चाभी 'बी' निकालेगा । लाइन सं. 2 से डाउन गाडी के प्रस्थान के लिए कार्यरत कांटावाला 'सी' निकाल लेगा । इसे कांटा सं.2 में लगाकर चाभी 'ई' कांटे को सामान्य दशा में रखकर निकालेगा । लाइन सं. 3 से डाउन गाडी के प्रस्थान के समय चाभी 'ए' को कांटा सं0 1 के तिहरे एच. पी. के. ताले में लगायेगा और रिवर्स करके चाभी 'डी' निकालेगा । सम्बन्धित चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुपुर्द करने के लिए स्टेशन लौट आयेगा जो इसे अपने पास निजी अभिरक्षा में तब तक रखेगा जब तक गाडी चली नहीं जायेगी ।

6.10.2 अप गाडियों का प्रस्थान :

ला.सं.1 से अप गाडी के प्रस्थान हेतु, कार्यरत स्टेशन मास्टर चाभी 'जी' को, अनुमुख छोर पर तैनात कांटावाला को सुपुर्द करेगा जो मार्ग के साफ (अवरोध रहित) होने की जाँच व्यक्तिगत रूप से करने के लिए उन कांटों तक जायेगा जिनसे होकर गाडी प्रस्थान करने वाली है । कार्यरत कांटावाला, कांटा सं. 4 पर स्थित तिहरे एच.पी.के. ताले में चाभी 'जी' लगायेगा, कांटा रिवर्स करेगा, चाभी 'एच' को निकालेगा तथा स्टेशन आकर चाभी 'एच' को कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंप देगा । लाइन सं.2 से गाडी के प्रस्थान हेतु कांटा सं. 4 को सामान्य स्थिति में रखकर चाभी 'जे' निकालेगा जिसे कांटा सं0 3 में लगा कर सामान्य स्थिति में चाभी 'एल' निकालेगा । ला.सं. 3 से गाडी के प्रस्थान हेतु कांटा सं. 4 के तिहरे एच.पी.के. ताले में चाभी 'जी' लगायेगा और कांटे को रिवर्स करके चाभी 'जे' निकाली जायेगी जिसे कांटा सं0 3 में लगा कर रिवर्स स्थिति में चाभी 'के' निकालेगा । समपार फाटक सं.9 श्रेणी 'सी' बन्द कर ताला लगायेगा । इस सम्बन्धित चाभी को कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुपुर्द करने के लिए स्टेशन लौट जायेगा जो गाडी के प्रस्थान करने तक चाभी 'एच' या 'एल' या 'के' जैसी स्थिति हो अपने पास रखेगा । कांटा वाला पुनः समपार पर वापस चला जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 16 पर

टिप्पणी

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटों, संकेतकों के संकेत को व्यक्तिगत रूप से देख कर एवं प्रस्थान छोर से सिगनल मिलाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग सही ढंग से बना हुआ है और तब गाडी के चालक को प्रस्थान प्राधिकार देंगे ।
- (ii) गाडी के पूर्णतया गुजर जाने के बाद सभी सेट किये गये कांटों को सामान्य स्थिति में कर दिया जायेगा और प्रस्थान दिशा पडने वाले समपार फाटक को खोल दिया जायेगा । गाडी के प्रस्थान के बाद स्टेशन मास्टर अनुमुख कांटों ट्रेलिंग प्वाइन्ट की चाभी यथास्थिति ``बी`` या ``ई`` या "डी" या "एच" या "एल" या "के" कांटावाला को सौंप देगा जो अनुमुख छोर पर जाकर सम्बन्धित चाभी को तिहरे एच.पी.के. ताले में लगायेगा और यथास्थिति स्टेशन मास्टर को सौंप देगा जिसे वे अपनी अभिरक्षा में रखेंगे ।

6.11 गाडियों का बिना रुके जाना :-

- (क) गाडियों का सामान्यतः स्टेशन पर सीधी लाइन सं. 2 से 50 कि.मी. की गति से बिना रुके जाने की अनुमति है । ऐसी स्थिति में चालक को प्रस्थान आदेश (टोकन) पिक अप आपरेटस पर दिया जायेगा । यदि किसी कारणवश सीधी लाइन सं.2 से गाडी को बिना रुके जाने की स्थिति नही हो तो अधिकतम 15 कि.मी. प्रति घण्टा की गति से गाडी को लाइन सं.1 या 3 से जाने की अनुमति है । ऐसी स्थिति में चालक को प्रस्थान आदेश स्टेशन के सामने से हस्तान्तरित किया जायेगा ।
- (ख) यदि कोई यात्री गाडी लाइन सं. 2 में खडी है तो किसी भी गाडी को लाइन सं.1 या 3 से बिना रुके जाने की अनुमति नहीं है ।
- (ग) बिना रुके गुजरने वाली सभी गाडियों को दोनो ओर से निरीक्षण किया जाना चाहिए । स्टेशन भवन के ठीक सामने से कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से तथा विपरीत दिशा से अन्य प्रशिक्षित कर्मचारी गाडी के कू से आल राइट सिगनल का आदान प्रदान करेगा । यह आल राइट सिगनल रात के समय हरी बत्ती तथा दिन के समय हरी झंडी द्वारा दिया जायेगा
- (घ) रन थू गाडियों के लिये यह कार्यरत स्टेशन मास्टर का दायित्व है कि वह स्वयं निरीक्षण करें कि गाडी का टेल बोर्ड / टेल लैम्प लगा एवं प्रकाशित है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि गाडी पूर्ण रूप से आ गयी है ।

विशेष रूप से सामान्य नियम 5.01(14)(iv) देखें ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 17 पर

6.12 सतर्कता आदेशा जारी होना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत करने के लिये या अन्य किसी कारणवश विशेष सावधानी/ सतर्कता आवश्यक हो तो उस स्थान से, जहाँ इस प्रकार के सावधानी की आवश्यकता है, ठीक पहले गाडी लेने वाले स्टेशन पर या किसी विशिष्ट निर्देश द्वारा निर्धारित स्टेशन पर एवं इस रूप में गाडी के चालक को जिस किलोमीटर के बीच यह सब सावधानी आवश्यक है, सावधानी बरतने का कारण तथा गति जिस पर गाडी को चलना है, आदि का विवरण देकर एक सतर्कता आदेश जारी किया जायेगा । अगर अगल-बगल में ब्लॉक खण्ड में सतर्कता आदेश लागू है तो निर्धारित विधि से रिमाइण्डर सतर्कता आदेश देगा । [विशेष रूप से सामान्य नियम 4.09 देखें]

6.13 लारी, ट्राली एवं मोटर ट्रालियों के संचालन के लिए विशेष निर्देश :-

- i) किसी भी मोटर ट्रॉली / मोपेड ट्रॉली / लॉरी / डीजल कार रेल मोटर कार को एक्सल्यूट ब्लॉक पद्धति जो गाडी के संचालन हेतु प्रचलित है, के नियमों के अन्तर्गत ही चलाया जायेगा ।
- ii) दिन के समय यदि मौसम साफ हो तो एक मोटर ट्रॉली को पूर्ण रूप से वैकुअम से चल रही गाडी अथवा अन्य मोटर ट्रॉली के पीछे एक ही ब्लॉक खण्ड में चलाया जा सकता है । ऐसी स्थिति में मोटर ट्रॉली चालक को निर्धारित फार्म पर प्राइवेट संख्या सहित एक मोटर ट्रॉली प्रपत्र (मोटर ट्रॉली परमिट) जारी किया जायेगा ।
- iii) जब एक मोटर ट्रॉली 'लाइन क्लियर पद्धति' पर संचालित की जाती है तो आगमन सिगनलों को टेक ऑफ करना आवश्यक होगा । यदि एक मोटर ट्रॉली किसी अन्य गाडी या मोटर ट्रॉली के पीछे ट्रॉली परमिट पर संचालित की जाती है । ऐसी स्थिति में आगमन संकेतकों को टेक ऑफ करना जरूरी नहीं होगा ।

[विशेष रूप से सहायक नियम 15.25(I)(xi)(xiii)(xiv)(xviii)(क)(ख) देखें]

6.14 विफलता के दौरान कार्य विधि :-**6.14.1 सिगनल खराब हो जाने की दशा में गाडी संचालन की विधि निम्न है :-**

इस स्टेशन पर दिये गये स्थावर सिगनलों में से किसी सिगनल के विफल हो जाने की दशा में सामान्य एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 तथा 3.80 में निहित निर्देशों के अनुसार गाडी संचालन किया जायेगा । इस स्टेशन संचालन नियमावली का पैरा 4.1 की टिप्पणी देखे ।

6.14.2 ब्लाक उपकरणों की विफलता :-

ब्लाक उपकरणों की विफलता हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश का आदान प्रदान ब्लाक यंत्र टेलीफोन / कंट्रोल फोन / वी0एच0एफ0 सेट के माध्यम से किया जाना चाहिए । (सामान्य एवं सहायक नियम अध्याय 14 एवं परिशिष्ट 'घ' देखें ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 18 पर

- (I) ब्लाक यंत्र टेलीफोन से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की आशंका रहती है ।
- (II) नियंत्रक टेलीफोन पर लाइन क्लियर लेने की स्थिति में लाइन क्लियर पूछने वाले स्टेशन मास्टर को चाहिए कि जिस स्टेशन से लाइन क्लियर मांगा जा रहा है उस स्टेशन से आने वाली या उस स्टेशन को जाने वाली अन्तिम 2 गाड़ियों का अपने स्टेशन पर / से आगमन / प्रस्थान का समय बतलायें । इसी प्रकार दूसरे ओर के स्टेशन मास्टर को भी अपने स्टेशन पर / से आने / जाने वाली अन्तिम 2 गाड़ियों का विवरण लाइन पूछने वाले स्टेशन मास्टर को बतलाना चाहिए । खण्ड नियंत्रक से भी पेपर लाइन क्लियर जारी करने के लिए प्राइवेट सं0 का आदान प्रदान अवश्य करें ।
- (III) पेपर लाइन क्लियर चलने से पहले और सामान्य विधि से (टोकन विधि) कार्य चालू होने से पहले अगल-बगल के सम्बद्ध स्टेशनों से इस निमित्त एक संदेश गुप्तांक के आदान -प्रदान के साथ अवश्य ही आदान - प्रदान होगा ।
- (IV) दुर्घटनाओं या लाइनों अथवा किसी गाडी के साथ हुई असामान्य घटनाओं या संचार साधनों की विफलता या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के बीच गाड़ियों का संचलन विशेष अनुदेशों के अनुसार होगा ।(पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली 1987 एवं साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

6.14.3 कांटा की विफलता :- सामान्य एवं सहायक नियम 3.77 देखें ।

6.14.4 संचार साधनों की पूर्ण विफलता (इकहरी लाइन) की स्थिति में गाड़ियों के संचलन :-

मण्डुवाडीह तथा राजातालाब दोनो स्टेशनों के बीच संचार साधनों को तब सम्पूर्ण रूप से विफल माना जायेगा जब निम्नलिखित में से किसी भी संचार साधन के माध्यम से लाइन क्लियर प्राप्त नहीं किया सके ।

ब्लाक उपकरण,
ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध टेलीफोन,
कंट्रोल टेलीफोन तथा
वी0एच0एफ0 सेट

मण्डुवाडीह तथा राजातालाब स्टेशनों, जैसी स्थिति हो, के स्टेशन मास्टर से संचार खोलने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है । इसके लिए इंजन या स्वयं चलने वाली ट्राली यदि उपलब्ध हो तो प्रयोग में लायी जा जायेगा । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्रम में संचार खोलने के लिए साधनों को भेजा जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 19 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

- i) लाइट इंजन,
- ii) गाडी इंजन को गाडी से काटने के पश्चात्, यदि कोई गाडी स्टेशन पर उपलब्ध है तो,
- iii) एक गार्ड अथवा कार्यरत स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर के साथ मोटर ट्रॉली,
- iv) एक गार्ड अथवा कार्यरत स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर युक्त ट्रॉली / साइकिल ट्रॉली / मोटर ट्रॉली,
- v) डीजल कार / रेल कार, यदि कोई उपलब्ध हो, इनमें से सभी यात्रियों को उतारने के पश्चात्

उपरोक्त अंकित वाहनों में से किसी एक को प्रभावित ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व चालक या अन्य कर्मचारी जिसे भेजा जा रहा है, क्यों और किस परिस्थिति में ऐसा किया जा रहा है उससे पूर्ण रूप से अवगत करायेगा । तदोपरान्त, वाहन चालक को निम्नलिखित प्रपत्र दिये जायेंगे :-

- (i) निर्धारित प्रपत्र पर बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार
- (ii) अपने स्टेशन से भेजे जाने वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर मांगते हुए प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर कार्यरत स्टेशन मास्टर मण्डुवाडीह तथा राजातालाब , जैसी भी स्थिति हो, को एक लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश ।
- (iii) प्रभावित ब्लॉक खण्ड के दूसरे छोर स्थित ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर मण्डुवाडीह तथा राजातालाब, जैसी भी स्थिति हो, को निम्नांकित अनुमति देते हुए एक सशर्त लाइन क्लीयर संदेश
- (iv) प्रभावित प्रखण्ड में जब दृश्यता स्पष्ट हो तब 15 कि०मी० / घंटा, रात में तथा जब दृश्यता स्पष्ट न हो 8 कि०मी० प्रति घंटा तथा धुन्ध एवं घने कोहरे में पैदल की गति का सतर्कता आदेश ।
- (क) केवल इंजन / गाड़ी इंजन, अकेले अथवा मण्डुवाडीह तथा राजातालाब , जैसी भी स्थिति हो, स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ी से या किसी अन्य किसी इंजन के साथ जोड़ कर वापस करने, या
- (ख) डीजल कार या रेल मोटर कार को वापस आने के लिए या
- (ग) मोटर ट्रॉली / ट्रॉली, स्वयं चल कर या उसके साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ी में लाद कर वापस करने के लिए ।

(सामान्य एवं सहायक नियम अनुच्छेद 'ख' के भाग -II देखें)

क्रमशः पृष्ठ सं0 20 पर

7.0 लाइनों का अवरोध :-

जब माल डिब्बे / वाहन के स्थायी रूप से खड़े होने के कारण अथवा क्रासिंग या किसी अन्य गाडी को पहले जाने देने के लिए खड़ी की गयी गाडी के कारण अथवा स्टेशन पर गाडी के पहुँचने के तत्काल बाद चालू लाइन अवरुद्ध आवश्यक हो तो स्टेशन के दोनो ओर कांटे तत्काल अवरुद्ध लाइन के विरुद्ध लगा दिये जाने चाहिए, सिवाय उस हालत में जब उस लाइन पर शंटिंग अथवा अन्य संचलन किया जाना अपेक्षित हो ।

जब कोई लाइन किसी स्थिर भार का वाहन इत्यादि द्वारा अवरुद्ध हो तो कथित कांटों में क्लैम्प कस कर ताले अवश्य लगा दिये जायँ और चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में ही अवश्य रख दी जाय ।

(कृपया सहायक नियम 5.19 देखें ।)

8.0 शंटिंग :-

[साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.12 से 8.15 की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है ।]

8.1 (क) लाइन क्लियर स्वीकृत करने से पूर्व शंटिंग :-

- (1) लाइन क्लियर देने के पूर्व आम तौर पर आउटर सिगनलों तक शंटिंग की अनुमति है, बशर्ते सिगनल 'ऑन' स्थिति में हों और एक सक्षम रेल कर्मचारी की निगरानी में ऐसी शंटिंग हो ।
- (2) आउटर सिगनल के बाहर शंटिंग करने के लिये लाइन को ब्लॉक बैक करना आवश्यक है । इस स्थिति में चालक को शंटिंग करने हेतु एक लिखित अनुमति या निर्धारित प्रकार के 'किंग टोकन' देना आवश्यक होगा । ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिये प्राधिकार जो ड्राइवर को दिया जाना है, अप तथा डाउन साइड के लिये अलग-अलग स्वरूप एवं विवरण का होगा देखें स.नि.8.15(क)(1) तथा किंग टोकेन शंटिंग कार्य के प्रभारी यातायात कर्मचारी द्वारा ड्राइवर को दिया एवं लिया जायेगा जिसे शंटिंग करनी है । जब शंटिंग कार्य वापस लाकर स्टेशन सेक्शन के भीतर कर दिया जाता है या इसे इस प्रकार वापस कर लिया जाता है कि स्टेशन मास्टर आगमन अनुमति दे सके तो शंटिंग का प्रभारी व्यक्ति सम्बन्धित टोकेन स्टेशन मास्टर को वापस लौटा देगा । किसी गाडी के लिये आगमन अनुमति देने से पूर्व स्टेशन मास्टर को अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सम्बन्धित टोकेन उसके व्यक्तिगत अभिरक्षा में है ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 21 पर

[सामान्य नियम 8.11 तथा सामान्य नियम 8.11(I)(क)(ख)(ग) एवं (घ), सामान्य नियम 8.13 एस.आर. 8.15(I)(क)(ख)(ग) एवं (घ) को देखें ।]

(ख) लाइन क्लियर स्वीकृति के बाद शंटिंग :-

चूँकि स्टेशन पर शण्टिंग लिमिट बोर्ड या एडवान्स्ड स्टार्टर सिगनल की सुविधा नहीं है, लाइन क्लियर देने के पश्चात् सामान्यतया शण्टिंग करने की अनुमति नहीं है । [सामान्य नियम 8.09 एवं 8.11 देखें ।]

(साधारण एवं सहायक नियम 8.09 तथा सामान्य नियम 8.11 देखे ।)

(ग) किसी आती हुई गाडी के सम्मुख शंटिंग :-

किसी गाडी के आउटर सिगनल पर आकर खड़ी हो जाने के बाद आती हुई गाडी के सम्मुख सामान्यतया शंटिंग करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपात काल में इसे किया जा सकता है, बशर्ते अन्य विकल्प न हो । इसके लिए साधारण एवं सहायक नियम के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करें ।

(सहायक नियम 8.09(I), 8.11(I) (क) (ख) (ग) एवं (घ) तथा साधारण नियम 8.11 (ख) देखें ।)

(घ) किसी जाती हुई गाडी के पीछे शंटिंग :-

जाने वाली गाडी के आउटर सिगनल पार कर जाने एवं अपनी यात्रा लगातार चालू रखने की स्थिति में प्रस्थान करने वाली गाडी के पीछे आउटर सिगनल तक साधारणतया शंटिंग की अनुमति है । गाडी के अगले स्टेशन पर पहुँच जाने के बाद तत्काल शंटिंग हेतु लाइन को ब्लाक बैक कर देनी चाहिए और चालक को किंग टोकन या शंटिंग के लिए लिखित अनुमति दे देनी चाहिए ।

(कृपया साधारण एवं सहायक नियम 8.1 देखे ।)

(ड.) शंटिंग के लिए विशेष बातें :-

शंटिंग संचलन के दौरान सभी सम्मुख कांटों को बनाकर क्लैम्प एवं ताला लगा देना चाहिए और सभी अनुमुख कांटों को सेट कर देना चाहिए । शंटिंग के अधिकृत प्रभारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे । तथा मार्ग में पडने वाले समपार फाटक सडक यातायात के विरुद्ध बन्द तथा लॉक करना भी अनिवार्य होगा ।

(सहायक नियम 5.14 (iii) देखे ।)

क्रमशः पृष्ठ सं0 22 पर

(च) शंटिंग के लिए प्रतिबन्ध :-

- (क) जब आने वाली गाडी के लिए ऐसी लाइन हेतु सिगनल ``आफ`` कर दिये गये हैं, जो पृथक्कीकृत नहीं है तो उन कांटों पर जिन पर आने वाली गाडी को गुजरना है, शंटिंग संचलन नहीं किया जायेगा ।
- (ख) किसी भी दशा में एक गाडी के दोनो छोर पर एक ही समय शंटिंग नहीं की जाय ।
- (ग) घने कुहरे, जब दृश्यता स्पष्ट न हो तो आने वाली गाडी के सम्मुख छोर पर शंटिंग सर्वथा वर्जित है ।

(साधारण एवं सहायक नियम 8.11(ख) (1) देखे ।)

8.2 शंटिंग के लिए उत्तादायी कर्मचारी :

शंटिंग परिचालन के लिए कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् है :-

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर :-

शंटिंग के लिए कर्मचारियों का सामान्य मार्ग दर्शन और विस्तृत निर्देश देना तथा देखना कि गाडियों/वाहनों की शंटिंग ठीक से पर ऐसे समय एवं इस ढंग से की जाती है कि किसी तरह का खतरा नहीं है ।

(ii) गार्ड :-

- (क) वाहनों / वैगनों को सही ढंग से जोड़ना, काटना एवं सही ढंग से मार्शलिंग करना ।
- (ख) कांटों की सही सेटिंग एवं ताला बन्द सुनिश्चित करना ।
- (ग) शंटिंग की जा रही गाडियों के हिस्से के साथ रहना ।
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि वैगनों / गाडियों के कपलिंग शंटिंग के पश्चात् ठीक ढंग से जोड़ दिये गये हैं ।
- (ङ.) आवश्यकतानुसार समपार फाटक संख्या 9 श्रेणी ``सी`` को बन्द करने एवं ताला लगाने को सुनिश्चित करना ।
- (च) शंटिंग के दौरान हाथ सिगनल दिखाना ।

(iii) कांटावाला :-

क्रमशः पृष्ठ सं० 23 पर

शंटिंग के लिए कांटावाला के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :-

- (क) कांटों को सही सेट करना एवं यदि आवश्यक हो तो ताला बन्द करना ।
- (ख) शंटिंग संचलन हेतु हस्त सिगनल देने से पूर्व, स्वयं को संतुष्ट करना कि सही पथ के लिए ही कांटे बने हैं और आवश्यकतानुसार ताला लगा दिये गये हैं ।
- (ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर / गार्ड के निर्देशन में वैगनों / वाहनों में कपलिंग जोड़ना एवं काटना, समपार फाटक बन्द करना ।
- (घ) जब शंटिंग हेतु आवश्यक हो, समपार फाटक संख्या 9 या 8 श्रेणी ``सी`` को सड़क यातायात के विरुद्ध लाक कराकर बन्द करना ।

8.3 वाहनों की सुरक्षा :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस स्टेशन पर खड़े वाहनों / वैगनों को उचित ढंग से सुरक्षित कर लिया जाता है । सभी वाहनों / वैगनों के ब्रेक को लगा दिया जाता है तथा रिक के वाहनों / वैगनों को एकसाथ जोड़ दिये जाते हैं । प्रत्येक रिक यदि रनिंग लाइन पर स्टेबुल किये गये हों तो अन्तिम वाहनों / वैगनों को सुरक्षित करना आवश्यक होगा । ऐसी स्थिति में, कम से कम 15 वाहनों / वैगनों हेतु एक सेफ्टी चेन का उपयोग किया जाना आवश्यक है । वाहनों में ब्रेक की व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से संचालित कर लगा देना चाहिये तथा माल वाहनों में प्रदत्त लीवरों को गिरा देना होगा । यदि रेल लम्बी हो तो मुख्यतया आँधी-तूफान के मौसम में अतिरिक्त पर्याप्त चेनों का प्रयोग किया जाना चाहिये । यदि कोई एक इकाई का वाहन / वैगन किसी लाइन पर स्टेबुल हो तो ब्रेक लगाने / गिराने के साथ-साथ उसे सेफ्टी चेन से सुरक्षित करना चाहिये ।

(साधारण एवं सहायक नियम 5.23 देखें ।)

9 असामान्य परिस्थितियां:-

9.1 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :-

दुर्घटना अथवा लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, तो अवरोध के स्थान तक कार्य हेतु गाड़ियों के चलाने का अधिकार टी / ए 602 जिसमें बिना लाइन क्लीयर के जाने का ब्लाक टिकट, प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पास करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी । सामान्य नियम 6.02 एवं 6.09 देखें ।

9.2 ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियां :-

क्रमशः पृष्ठ सं0 24 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

यदि कोई सवारी गाड़ी किसी स्टेशन पर आगमन नियत समय के 10 मिनट के अन्दर और मालगाड़ी का आगमन नियत समय के 20 मिनट के अन्दर न हो सके तो ब्लाक सेक्शन के दोनो ओर के स्टेशन मास्टर को कारण पता करने के लिये किसी रेल सेवक को भेजना चाहिये ।

9.3 कांटों और अर्न्तपाशन की खराबी रिपोर्ट करना :-

जब भी स्टेशन पर कांटों कोई अन्य अर्न्तपाशन गियर में खराबी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट आन डियूटी स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी, जो इस खराबी के ठीक करने के लिये उत्तरदायी हैं, को रिपोर्ट की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से लिखित मेमों प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये। खण्ड के नियंत्रक को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य

राजातालाब छोर : दिन के समय डा. होम सिगनल का हत्था सं.10 तथा रात के समय इसकी बैक लाइट जो प्लेटफार्म के मध्य से दिखायी दे ।

मण्डुवाडीह छोर : दिन के समय अप होम सिगनल का हत्था सं.4 तथा रात के समय इसकी बैक लाइट जो प्लेटफार्म के मध्य से दिखायी दे ।

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण : स्टेशन संचालन नियमावली का परिशिष्ट 'ड0' देखें ।

12. पटाखे वाले (फाग सिगनलमैन) को कोहरे या तूफानी मौसम या धूल भरी आंधी में कार्य करने के लिए अनुदेश

- 1 कोहरे, आँधी या धुंध के मौसम में जब दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि सिगनल जल रहे हैं । इसके बाद एक - एक प्रशिक्षित व्यक्ति को दोनो दिशाओ में पटाखे लगाने के लिए कोहासा सिगनल खम्भों के पास भेजेगा । यह खम्भे सभी स्टेशनों के प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे बाहर की ओर गड़े रहते हैं। प्रत्येक स्टेशन पर फाग सिगनल मैनों का नाम फाग सिगनल रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा नामांकित फाग सिगनल मैनों को ही धुंध या कोहरे के मौसम में इस्तेमाल किया जायेगा ।
- 2 इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को 10 पटाखे दिये जायेंगे । ये दो पटाखो को लाइन के उपर बीच में फाग सिगनल पोस्ट से 10 मीटर के फासले पर उनके लेबिल या छाप को उपर रख कर और पत्तियों को मोड़ कर मजबूती से फसां देगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 25 पर

- 3 इस प्रकार लाइन पर लगाये गये पटाखों पर से गाड़ी के चले जाने के बाद फाग सिगनल मैन उन पटाखों की जगह दो पटाखे लगा देगा ।
- 4 इससे पहले कि यह पटाखे किसी आने वाली गाड़ी के इंजन नीचे आकर दगे फाग सिगनल मैन पटाखों से सुरक्षा परिधि 46 मीटर की दूरी पर चला जायेगा । जँहा तक परिस्थितियों द्वारा साध्य हो वह इस बात की चेतावनी देने के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ हो इस सुरक्षा परिधि के बाहर रहे ।
- 5 फाग सिगनल मैन को देखना चाहिये कि प्रथम रोक सिगनल जो गाड़ी गुजरने के लिए आफ किया गया है, गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर आन की स्थिति में कर दिया गया है । यदि 5 मिनट के बाद भी सिगनल आन की स्थिति में नहीं हो जाता है, तो उसे शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिये ।
- 6 प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति जो पटाखों के साथ भेजा जायेगा, अपने साथ जलती हुयी बत्ती ले जायेगा ।
- 7 पटाखों को रखने के लिये प्रतिनियुक्त फाग सिगनलमैन , गाड़ी को स्टेशन यार्ड छोड़ते देखकर ड्राइवर को आगे बढ़ने को हाथ सिगनल दिखायेगा ।
- 8 कार्यरत स्टेशन मास्टर को उपयुक्त अनुदेशों के अनुसार जैसे ही कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, वह तुरंत स्टेशन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कार्य पर न हो बुलायेगा अन्यथा प्रखण्ड के रेलपथ निरीक्षक से दो प्रशिक्षित गैंगमैनो को फाग सिगनल मैन की जगह प्रतिनियुक्त करने का आग्रह करेगा । फाग सिगनल मैन रेलवे का स्थाई कर्मचारी होना चाहिये न कि एवजी कर्मचारी ।
- 9 कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्टेशन पटाखा रजिस्टर में सभी लोगो के जो फाग सिगनल मैन या उनकी जगह इस स्टेशन पर फाग सिगनलमैन प्रतिनियुक्त किये गये हो, के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना आवश्यक है, जिससे ज्ञात होगा कि ये गाड़ी के लिये फाग सिगनल लगाने के नियमों को समझते हैं ।
- 10 स्टेशन में निर्धारित पंजिका पर पटाखा का रिकार्ड रखना आवश्यक है, जिसमें कार्यरत फाग सिगनलमैन का पूरा नाम, कार्य की अवधि, पटाखों का स्टॉक , प्रत्येक फाग सिगनलमैन के साथ कितने पटाखे भेजे गये, प्रत्येक गाड़ी की संख्या जिसके नीचे पटाखे प्रयोग किये गये, बचे हुये पटाखों की संख्या और प्रयोग किये गये पटाखों की खोल (साथ ही जो पटाखे न फटे हो) कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाग सिगनल मैन द्वारा वापस किये गये का ब्योरा देना होगा ।

क्रमशः पृष्ठ सं0 26 पर

13. स्टेशन संचालन नियमावली से संलग्न परिशिष्टों तथा अनुलग्नकों की सूची :-(i) परिशिष्ट 'क' :

भाग -I	:	समपार फाटक सं. 9 श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग -II	:	समपार फाटक सं. 8 श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग -III	:	समपार फाटक सं. 7 श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।
भाग -IV	:	समपार फाटक सं. 10 श्रेणी 'सी' हेतु कार्य अनुदेश ।

(ii) परिशिष्ट 'ख' : सिगनलिंग तथा इण्टरलाकिंग का प्रविधि ।

(iii) परिशिष्ट 'ग' : टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) ।

(iv) परिशिष्ट 'घ' : कर्मचारी के कर्तव्य ।

(v) परिशिष्ट 'ड.' : स्टेशन पर आवश्यक उपकरण ।

(vi) परिशिष्ट 'च' : डी० के० स्टेशन, हॉल्ट स्टेशन, आई० बी० एच०, आई० बी० एस० एवं बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम ।

(vii) परिशिष्ट 'छ' .. विद्युतीकृत खण्डों में गाड़ी के परिचालन के नियम ।

टिप्पणी
:-

- इनमें से किसी भी नियम को साधारण एवं सहायक नियमों को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित करते हुए न पढा जाय ।
- उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ सामान्य एवं सहायक नियमों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है । नियम सम्पूर्ण नहीं है । सभी अन्य सामान्य एवं सहायक नियमों या अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय - समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये ।